



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7681

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20977 वर्ष 2023

दयानंद

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अरविंद प्रबोध दुबे, सुमित कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, मुकेश कुमार

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. आवेदक द्वारा दायर पूरक हलफनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार और राज्य के विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री घनश्याम मिश्रा की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह जमानत याचिका आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 76/2022, धारा 363, 302, 201, 34 आईपीसी, पुलिस स्टेशन मेहदावल, जिला संत कबीर नगर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है, लेकिन आवेदक की पहली जमानत याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज नहीं किया गया था, बल्कि उसे अभियोजन की कमी के कारण खारिज किया गया था।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि इस मामले की एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 के तहत दर्ज की गई थी और एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता का नाना 6 अप्रैल 2022 को शाम लगभग 7:30 बजे उसके घर से लापता हो गया था और जांच के दौरान आवेदक को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि जांच के दौरान जब अपहृत व्यक्ति का शव बरामद हुआ, तब मामले को आईपीसी की धारा 302 के तहत परिवर्तित कर दिया गया।

6. उन्होंने आगे बताया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार 12.04.2022 को, यानी एफआईआर दर्ज होने के छह दिन बाद, मृतक के पिता को दो अन्य व्यक्तियों द्वारा मृतक की हत्या के संबंध में एक कॉल आया था और अभियोजन पक्ष के अनुसार, वह कॉल आवेदक के फोन से किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा आवेदक के खिलाफ रिकॉर्ड में कोई अन्य सबूत नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि यह सबूत कमजोर है और ऐसे आरोपों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और यदि आरोपों को स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ही वह व्यक्ति था जिसने मृतक का अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या की।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उन्होंने आगे बताया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में वह 15.04.2022 से, यानी पिछले साढ़े तीन साल से अधिक समय से जेल में है और आज तक मुकदमा समाप्त नहीं हो सका है।

8. उन्होंने आगे कहा कि आरोपपत्र में कुल 38 गवाह हैं, लेकिन आज तक केवल चार गवाहों की ही जांच हो सकी है, इसलिए मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई उम्मीद नहीं है।

9. इसके बाद उन्होंने निवेदन किया कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

10. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और निवेदन किया कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें आठ वर्षीय लड़के की हत्या की गई है और आवेदक इस मामले में संलिप्त है क्योंकि मृतक के पिता को कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल आवेदक का था। लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और उपरोक्त साक्ष्य के अलावा आवेदक के विरुद्ध रिकॉर्ड में कोई अन्य साक्ष्य नहीं है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। और इस मामले में वह 15.04.2022 से यानी पिछले साढ़े तीन साल से अधिक समय से जेल में है।

11. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

12. यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है और आवेदक की पहली जमानत याचिका अभियोजन के अभाव में खारिज कर दी गई थी। हालांकि, यह एक ऐसा मामला है जिसमें 8 वर्षीय लड़के की हत्या हुई है, लेकिन एफआईआर में किसी का नाम नहीं था और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जांच के दौरान आवेदक को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि 12.04.2022 को, यानी मृतक के पिता को छह दिन बाद, एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि दो व्यक्तियों (आवेदक नहीं) ने उनके बेटे की हत्या की है। और यह कॉल आवेदक के फोन से किया गया था। इसके अलावा, आवेदक के खिलाफ रिकॉर्ड में कोई अन्य सबूत नहीं है। यह स्वीकार किया जाता है कि कोई प्रत्यक्षदर्शी बयान नहीं है और यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है।

13. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 15.04.2022 से यानी पिछले साढ़े तीन साल से अधिक समय से जेल में है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताए गए मुकदमे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इस मामले के शीघ्र निपटारे की कोई उम्मीद नहीं है।

14. इसके अलावा, कानून यह स्थापित करता है कि जब तक दोषी साबित न हो जाए, आरोपी को निर्दोष माना जाता है और जमानत याचिका को न तो दंडात्मक और न ही निवारक उद्देश्य से खारिज किया जाना चाहिए।

15. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

16. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. आवेदक **दयानंद** को उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, यदि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानती और निजी मुचलके प्रस्तुत करता है, तो निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

18. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

12 जनवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एके पांडे

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।